

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक / 16
प्रस्तुति दिनांक : 18-05-2016

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल गवालियर (म.प्र.) के समक्ष

निम्न - 15-97-PBN-16

शेख करीम पिता शेख सुपदू मंसूरी

उम्र :— वयस्क, धंधा काश्तकारी

निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर

.....याचिकाकर्ता / आवेदक

वि रु द्व

1. शेख चांद पिता शेख भिखारी मंसूरी
उम्र :— वयस्क वर्ष, धंधा काश्तकारी

2. शेख रज्जाक पिता शेख भिखारी मंसूरी
उम्र :— वयस्क वर्ष, धंधा काश्तकारी
दोनों निवासी ग्राम मोहद तहसील व जिला बुरहानपुर म.प्र.

.....प्रत्यर्थीगण / अनावेदकगण

निगरानी याचिका अंतर्गत धारा 50


मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

उपरोक्त प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन है कि :-

याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त^{४५}
तहसीलदार बुरहानपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक
63-70/10-11 में पारित आदेश दिनांक 18.03.16 से
असंतुष्ट एवं दुःखी होकर याचिकाकर्ता द्वारा
निम्नलिखित अतिरिक्त आधारों पर यह निगरानी
याचिका प्रस्तुत करते हैं :-

(Signature)

R 1597-PR-2/16 २२/७४

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षण
21. 6. 2016	<p>उम्मत मैंनी उम्मेभाष्य उपलब्धित। उनके द्वारा संशमनाभावम् पूर्ण करने हेतु प्रकरण वापिस किये जाने का अनुरोध पूछिया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण संशमनाभावम् में पूर्ण करने हेतु वापिस किया जाकर समाप्त किया जाता है।</p> <p> </p>	 